महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

कार्यवृत्त

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की नवी बैठक दिनांक 07.02.2025 मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 12.00 बजे प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
01	प्रो0 संजीव कुमार, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री, ज्ञान प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी	सदस्य प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा
03	श्री विशेश्वर प्रसाद, कुलसचिव	सदस्य
04.	प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य	–
05	श्री जग नारायण झा, वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव एवं प्रतिनिधि वित्त सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

बिन्दु सं0 1– वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 20/08/2024 में लिए गए निणर्यों का सम्पुष्टीकरण।

निर्णयः पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त पिछली बैठक में लिए गये निणर्यो की को सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

बिन्दु सं0 2– सूच्य है कि विश्वविद्यालय में कार्य की सुगमता के दृष्टिगत कार्य–संचालन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारो के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि प्रदेश के प्रायः सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्य की सुगमता के दृष्टिगत कार्य–संचालन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। उदाहाराणर्थ डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा मे कार्य की सुगमता के दृष्टिगत कार्य–संचालन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त डा0 भीमराव आंबेडकर विष्वविद्यालय, आगरा के आधार पर नवस्थापित महाराजा सहेल देव विष्वविद्यालय, आजमगढ़ में कार्य की सुगमता के दृष्टिगत कार्य–संचालन हेतु

DFA
17.2.25.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन किया गया है जो इस प्रकार है–

1. कुलपति कार्यालय को अपनें अनुभागों के लिए स्थाई अग्रिम (imprest money) रू0 25000/–प्रति माह तक की अधिकतम सीमा तक का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार।

2. वित्त अधिकारी, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक को अपनें अनुभागों के लिए स्थाई अग्रिम (imprest money) रू0 20000/–प्रति माह की अधिकतम सीमा तक का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार।

3. विश्वविद्यालय के उप कुलसचिवों को अपने विभागीय दैनन्दनी आवश्यक कार्यो हेतु स्थाई अग्रिम (imprest money) रू0 5000/–प्रति माह की अधिकतम सीमा तक का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार।

4. विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिवों को विभागीय दैनन्दनी आवश्यक कार्यो हेतु स्थाई अग्रिम (imprest money) रू0 5000/–प्रति माह की अधिकतम सीमा तक का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार।

बिन्दु सं0 3– सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्मार्ट कान्फ्रेन्स रूम की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन एवं उपकरणो हेतु बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्मार्ट कान्फ्रेन्स रूम की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन एवं उपकरणो हेतु अनुमानित बजट रू0 1.50 लाख (01 लाख 50 हजार) का प्रविधान किया गया है।

बिन्दु सं0 4– सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्मार्ट कान्फ्रेन्स हाल की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन एवं उपकरणो हेतु बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्मार्ट कान्फ्रेन्स रूम की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन एवं उपकरणो हेतु अनुमानित बजट रू0 3.50 लाख (03 लाख 50 हजार) लगभग का प्रविधान किया गया है।

बिन्दु सं0 5– सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर की मुख्य मार्ग से दूरी लगभग 2.5 कि0मी0 है मुख्य मार्ग से परिसर आने जाने में छात्र/छात्राओं/कर्मचारियों/शिक्षकों/अभिभावकों को अत्यधिक परेषानी होती है। अतः परिसर में दो ई–रिक्शा क्रय किर्ये जाने पर विचार। प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जायें।

बिन्दु सं0 6– सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न विभागों/कार्यालयों की आवश्कता के दृष्टिगत लगभग 20 एयर कंडीशनर क्रय कर लगायें जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विष्वविद्यालय परिसर के विभिन्न विभागों/कार्यालयों की आवश्कता के दृष्टिगत लगभग 20 एयर कंडीशनर क्रय कर लगायें जाने का अनुमानित बजट रू0 10 लाख का प्रविधान किया गया है।

बिन्दु सं0 7– सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्ट्रीट लाइट के अभाव में अन्धेरा रहता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्ट्रीट लाइट का लगाया जाना अति आवश्यक हैं स्ट्रीट लाइट साथ ही 02 हाई–मास्क लाइट क्रय करने एवं लगाये जाने पर विचार। प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर में स्ट्रीट लाइट के अभाव में अन्धेरा रहता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्ट्रीट लाइट का लगाया जाना अति आवश्यक हैं सोलर स्ट्रीट लाइट साथ ही 02 हाई–मास्क लाइट क्रय करने एवं लगाये जाने का अनुमानित बजट रू0 86 लाख लगभग का प्रविधान किया गया है।

बिन्दु सं0 8.– सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर के लान एवं उद्यान को विकसित करने के लिए बजट आवंटन पर विचार। प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर के लान एवं उद्यान को विकसित करने के लिए का अनुमानित बजट रू0 30 लाख (लगभग) का प्रविधान किया गया है। ।

बिन्दु सं0 9.– सूच्य है कि विश्वविद्यालय में आर0टी0आई0 आदि से प्राप्त पोस्टल आर्डर को जमा एवं भुगतान करने के लिए पोस्ट आफिस में विश्वविद्यालय का खाता खोलने पर विचार। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः विश्वविद्यालय में आर0टी0आई0 आदि से प्राप्त पोस्टल आर्डर को जमा एवं भुगतान करने के लिए पोस्ट आफिस में विश्वविद्यालय का खाता खोलने के लिए सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णाय लिया गया है।

बिन्दु सं0 10.– सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में मा0 कुलपति जी के आवासीय भवन को निवास योग्य बनाने एवं साज–सज्जा हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने के लिए प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर में मा0 कुलपति जी के आवासीय भवन को निवास योग्य बनाने एवं साज–सज्जा हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने के लिए अनुमानित बजट धनराशि रू0 15 लाख (लगभग) प्रविधान किया गया है।

बिन्दु सं0 11.– सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में मा0 कुलपति जी के कान्फ्रेन्स/मिटिंग रूम में स्मार्ट टी0वी0 क्रय कर लगाये जाने के लिए बजट आवंटन पर विचार। प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर में मा0 कुलपति जी के कान्फ्रेन्स/मिटिंग रूम में स्मार्ट टी0वी0 क्रय कर लगाये जाने के लिए अनुमानित बजट धनराशि रू0 1 लाख का प्रविधान किया गया है।

बिन्दु सं0 12.–कार्यपरिष्द दिनांक 18.11.2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में वित्त अधिकारी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक के उपयोगार्थ (माडल मारूति सियाज) 03 गाडियों के क्रय करने का निर्णय लिया गया था। जिसमें से वर्तमान में 02 गाडियों की आवश्यकता है। वर्तमान समय में मारूति सियाज (MARUTI CIAZ) केवल पेट्रोल संस्करण में उपलब्ध है अतः उक्त मारूति सियाज के स्थान पर जो बोलेरो नियो (BOLERO NEO) लगभग उसी मूल्य का है गाडी क्रय करने पर प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णाय लिया गया वित्त अधिकारी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक के उपयोगार्थ 03 गाडियों के क्रय करने का निर्णय लिया गया था। जिसमें से वर्तमान में 02 गाडियों की आवश्यकता है। बोलेरो नियो (BOLERO NEO) गाडी क्रय करते हुए शासन को सूचित कर दिया जाए।

बिन्दु सं0 13 विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यालयों/विभागों में लगभग 60 कम्प्यूटर, 60 यू0पी0एस0, 05 फोटोकापी बडी मशीन की अतिआवयकता के दृष्टिगत। प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यालयों/विभागों में लगभग 60 कम्प्यूटर, एक यू0पी0एस0 25 केवीए का जिसकी लागत लगभग चार लाख है 03 फोटोकापी बडी मशीन तथा 05 आल इन वन फोटोकापी मशीन क्रय कर लगायें जाने अनुमानित बजट धनराशि रू0 75 लाख लगभग का प्रविधान किया गया है।

बिन्दु सं0 14.– विश्वविद्यालय से सम्वंन्धित निर्माण/मरम्मत आदि कार्यों के लिए एक सिविल अभियंता की आवश्यकता है, जब तक विश्वविद्यालय में स्थाई सिविल अभियंता की नियुक्ति नही हो जाती तबतक के लिए एक सेवानिवृत्त सिविल अभियंता

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

को मानदेय पर विश्वविद्यालय में योजित करनें पर प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय से सम्बंन्धित निर्माण/मरम्मत आदि कार्यों के लिए एक सिविल अभियंता की आवश्यकता है, जब तक विश्वविद्यालय में स्थाई सिविल अभियंता की नियुक्ति नही हो जाती तबतक के लिए एक सेवानिवृत्त सिविल अभियंता को मानदेय पर विश्वविद्यालय में योजित करनें का निर्णय लिया गया है। साथ ही डिप्लोमाधारी को 30 हजार तथा डिग्रीधारी को 40 हजार प्रतिमाह मानदेय होगा।

बिन्दु सं0 15.—अन्य बिन्दु में मा0 कुलपति जी के आदेश से विश्वविद्यालय के मेन रोड पर भव्य गेट का निर्माण के लिए प्रकरण समिति के समक्ष बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया विश्वविद्यालय के मेन रोड पर भव्य गेट का निर्माण के लिए 35 लाख लगभग बजट का प्रविधान किया गया है।

बैठक समाप्ति के उपरान्त वित्त अधिकारी ने सभी सदस्यों/मा0 कुलपति जी का धन्यवाद ज्ञापन किया।

(जग नारायण झा)
वित्त अधिकारी/सचिव
वित्त समिति

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति/अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner